[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

पेश किया है इस से लगता है कि सरकारी विभागों पर सरकार की पकड़ धीरे धीरे कितनी समाप्त होती जा रही है और शायद इसी कमी को पूरा करने के लिये भारत सरकार को अब धीरे धीरे पुलिस और सेना पर अवलम्बित होना पड़ रहा है ।

कुछ भी कहने से पहले मैं उस बारे में आशय कहना चाहूंगा जिस की चर्चा अभी कांग्रेस के सदस्य श्री सिद्धेश्वर प्रसाद जी ने छेड़ी थी । 7 नवम्बर की घटना जो संसद भवन के सामने हुई और जिसके लिए उन्होने यह कहा कि इस प्रकार की घटना गाय की हत्या बन्द करने वाले पवित्र प्रदर्शन में नहीं होनी चाहिए थी । मैं माननीय सदस्य की उस राय से सहमत होते हुए उनको उन्हीं की पार्टी के दो सदस्ययों की राय से अवगत कराना चाहता हूं । एक हैं राज्य सभा के सदस्य श्री के० के० शाह और दूसरे हैं इसी सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री कमलनयन बजाज । श्री के० के० शाह का कहना इस प्रकार है कि 7 नवम्बर की घटना में जिन गाड़ियों के शीशे वगैरह टूटे हैं या जिनको नुकसान पहुंचा है पंजाब नेशनल बैंक के सामने या विट्ठल भाई पटेल भवन के सामने उन को नुकसान पहुंचाने वाले लगभग दस बारह आदमी इस प्रकार के थे जिन के पास कुछ ऐसे हथियार थे कि जिनसे वह आसानी से पेट्रोल जहां पर होता है उस हिस्से को खोल लेते थे और दियासलाई लगाकर एक मिनट के अन्दर आग लगा देते थे। यानी वह इस प्रकार के ट्रेन्ड व्यक्ति थे, यह श्री के० के० शाह का कहना है और वह दस बारह व्यक्ति प्रकाशवाणी भवन से कनाट प्लेस की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे थे ।

दूसरी घटना संसद भवन के सामने जो हुई उस के संबंध में जिस समय मैं सेठ गोविन्द दास और डाक्टर सिंघवी जैसे सदस्य संसदीय गोमंच से संबंधित थे, वहां जा रहे थे, तो उस समय एक व्यक्ति जो बिलकुल नंगा था, राख लगाये हुए पार्लियामेंट हाउस की तरफ आ रहा था और जनता की ओर कुछ इशारा कर रहा था, पुलिस के एक आदमी ने उस को देखकर कहा, तू इस वेष में कब से हो गया ? तो उसने कहा चल चल, अलग हट । ऐसा कह कर वह इधर को बढ़ रहा था तो बजाज जी ने पुलिस वालों से पूछा कि क्या तुम इस को जानते हो? पुलिस वाले ने कहा कि इसको तो मैं बीस साल से जानता हूं, यह दिल्ली का बदनाम गुंडा है जो राख लगाकर आज इस तरह का भेष बनाए हुए है । वह व्यक्ति पार्लियामेंट हाउस की तरफ लोगों को आने के लिए प्रेरित कर रहा था । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के प्रदर्शन में जो यह अप्रिय घटना हुई है, जो जनतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है, जिसके लिये किसी भी पार्टी और व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये ।

Mr. Chairman: I think the hon. Member will continue next time.

15.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

NINETY-EIGHTH REPORT

Shri M. L. Jadhav (Malegaon): I beg to move:

"That this House agrees with the Ninety-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 16th November, 1966."

Mr. Chairman: The question is:

"That this House agrees with the Ninety-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 16th November, 1966."

The motion was adopted.

15.30½ hrs.

PERSONEL LIBERTIES (RESTORATION) BILL*

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : सभापति महोदय, मैं परसनल लिबर्टीज (रेस्टोरेशन) बिल पेश करने की इजाज़त चाहता हूं ।

Mr. Chairman: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Telgeraph Act, 1885 and the Indian Post Office Act, 1898."

The motion was adopted.

श्री यशपाल सिंह : मैं इस बिल को पेश करता हूं ।

15.31 hrs.

CATTLE SLAUGHTER PROHIBITION BILL*

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : मैं सम्पूर्ण गोवंश पर प्रतिबंध लगाने सम्बन्धी पशु वध निषेध विधेयक पेश करने की अनुमति चाहता हूं ।

Mr. Chairman: The question is:....

Shri Radhelal Vyas (Ujjain): Can it be introduced here in this House? The opinion of the Attorney-General was given in this very House that such a Bill could not be introduced in the Lok Sabha and could not be passed. Since the Law Minister is here, you can take his opinion also.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : वह कायदे में होगा, तभी तो इन्होंने इसको आज आने दिया ।

Shri Raghunath Singh (Varanasi): At this stage we do not oppose it. Still there is opportunity for the Law Minister to explain, because this is the tradition of our House that at the stage of introduction, we do not oppose it.

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak): Ordinarily we do not oppose a motion for introduction of a Bill, but here the question is one of competence of Parliament. This is a matter which refers to List No. 2, and the State alone can legislate on this subject. Therefore, this question could be raied here. At this stage....

Shri Raghunath Singh: Then, how was this allowed for introduction? Your Ministry has not objected to it.

Shri G. S. Pathak: This is the first time when an objection can be taken.

Shri Raghunath Singh: It cannot come on the Order Paper then.

Shri G. S. Pathak: This Bill cannot be introduced here, and leave should not be granted, because Parliament is not competent to legislate on this subject.

Shri Raghunath Singh: In this respect I have to make a submission. It is only when the Speaker and the Lok Sabha Secretariat find that a Bill is in order and can be introduced, it is allowed. If the Bill is not proper, then they write to us saying that it is not proper, and it cannot be introduced. The Lok Sabha Secretariat

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 18-11-66.